न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 22/2017/(2017/00050) जिला–नागौर

श्री दौलाराम पुत्र स्व0 श्री खुमाराम जात जाट निवासी गंठीलासर तहसील व जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्री फूसाराम पुत्र श्री भींयाराम जाति जाट मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1 श्रीमती धापू देवी पत्नी स्व0 श्री फूसाराम
   1/2 करणाराम पुत्र स्व0 श्री फूसाराम
   1/3 कैलाशराम पुत्र स्व0श्री फूसाराम
   1/4 जेठाराम पुत्र स्व0 श्री फूसाराम
   1/5 राधा देवी पुत्री स्व0 श्री फूसाराम पत्नी मोहनराम
   1/6 मैना देवी पुत्री स्व0 श्री फूसाराम पत्नी पिराराम
   1/7 मीरा देवी पुत्री स्व0 श्री फूसाराम पत्नी शंकराराम
   1/8 रमा देवी पुत्री स्व0 श्री फूसाराम पत्नी गिरदारी
   1/9 सुमादेवी पुत्री स्व0 श्री फूसाराम पत्नी चेनाराम
2. श्री शैतानाराम पुत्र स्व0 श्री खुमाराम जाति जाट
3. श्री जीवणराम पुत्र स्व0 श्री खुमाराम जाति जाट
4. श्री देरामाराम पुत्र स्व0 श्री खुमाराम जाति जाट
5. श्रीमती जमना पत्नी स्व0 श्री खुमाराम जाति जाट
   समस्त निवासी गंठीलासर तहसील व जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नागौर दिनांक 16–6–2016
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 91/2015
बउनवान फूसाराम बनाम दौलाराम

————

उपस्थित– 1. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांकः— 16—05—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तग्रत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गठीलासर तहसील नागौर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा प्रत्यर्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजियात है। उसके पास उत्तरी सीमा पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 884/236 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा उत्तरी भाग व खसरा नम्बर 885/236 रकबा पूर्वी भाग में स्थित है। कुल रकबा 17 बीघा प्रत्यर्थीगण की आराजियात है। प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थी के मध्य आपसी सहमति से उक्त खेतों का बंटवारा हो रखा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, नागौर को अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के खेतों का नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, नागौर के उक्त आदेश दिनांक 16—6—2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना—पत्र धारा—5 पर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने गलत रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर दिनांक 16—6—2016 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर पटवार हलका गठीलासर के द्वारा अपीलार्थी की आराजी की सीमाज्ञान करने हेतु दिनांक 13—1—2017 को आये और दिनांक 14 व 15—1—2017 को राजकीय अवकाश होने से दिनांक 16—1—2017 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नकल हेतु आवेदन किया जो कि उसी दिन नकल प्राप्त की और दिनांक 17—1—2017 को कानूनी जानकारी प्राप्त कर उक्त आदेश की अपील तैयार कर बिना विलम्ब के उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय—समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद

अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है कि राजस्व लोक अदालत में किसी भी प्रकार से निर्णय होंगे जिसमें सभी पक्षकारेां की सहमति लेकर ही निर्णय किये जाने चाहिए जिसमें छटनी किये गये मुकदमों में सभी पक्षकारों को लोक अदलत के सूचना पत्र जारी किया जाना है जबकि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार से सूचना नहीं दी गई और न ही किसी प्रकार से अवगत कराया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मात्र अपीलार्थी की आराजी को ग्राम गंठीलासर की आराजी खसरा नम्बर 884/236 व 885/236 कुल रकबा 17 बीघा को नाप करके पत्थरगढी करने का आदेश चाहा है जबकि अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 52 बीघा 8 बिस्वा पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 5 ने किसी प्रकार कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया है ना ही अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया और ना ही किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत किये है। प्रत्यर्थीसंख्या 1 द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ते के लिए कहा था और रास्ते हेतु ही सीमाज्ञान का निवेदन किया था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 में अपीलाधीन आदेश जिसमें अपीलार्थी की आराजी को नापकर के बाकी आराजी बचती है उस पर अपीलार्थी /प्रत्यर्थीगण को पत्थरगढी का आदेश दिया है जो क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) नागौर के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा अपने स्वयं के खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 52.08 बीघा जो कि मौजा गंठीलासर के पास ही उत्तरी तरफ प्रत्यर्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 884/236 रकबा 16.01 बीघा उत्तरी भाग के खसरा नम्बर 885/236 रकबा 16.17 बीघा पूवी भाग सरहद मौजा गठीलांसर तहसील नागौर में स्थित है, की सीमाओं की जानकारी की पुष्टि हेतु एवं जांच के संबंध में उस पर सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान कराने की स्वतंत्रता है जो कि आस–पड़ौस की भूमि के खातेदारान को मौके पर सुनवाई का पूर्ण अवसर राजस्व अधिकारी द्वारा दिया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेश में तहसीलदार नागौर को आदेशित किया है कि

विवादित आराजयात अपीलार्थी/प्रत्यर्थीगण के खेताय का नाप चौप कर खातेदारी के खेतों पर पत्थरगढी कराई जावे जो न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि पत्थरगढ़ी/सीमांकन जो सभी आस–पड़ौस के खातेदारान की उपस्थिति में सुनवाई करके किया जावेगा यदि फिर भी उक्त पत्थरगढ़ी/सीमांकन करने के पश्चात किसी भी पक्षकार को कोई उजर होगा तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि अभी तो तहसीलदार, नागौर द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश दोनों पक्षकारान को सुनकर पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक दिनांक 16–6–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–5–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर